



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272434
CG-DL-E-11052026-272434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948

No. 286]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 310(अ).— कतिपय अर्थात् प्रारूप नियम अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, समूह 'क' पद (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी) भर्ती नियम 2025, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित, तारीख 05 अगस्त, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) की खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, समूह 'क' पद (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी) भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (a) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;
- (b) 'नियंत्रण प्राधिकारी' से प्रतिष्ठान की कार्यकारी परिषद अभिप्रेत है;
- (c) "प्रतिष्ठान" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अभिप्रेत है;
- (d) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (e) "स्कीम" से पुनरीक्षित अनुकूलनीय पूरक स्कीम अभिप्रेत, जो कि कर्मी और प्रशिक्षण विभाग द्वारा का.ज्ञा. संख्या एबी-14017/41/2013-पीपी(आरआर), तारीख 13 मार्च, 2024 के माध्यम से जारी की गई है;
- (f) "वैज्ञानिक पद" से उस स्कीम में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है;
- (g) "चयन समिति" से वह समिति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों की अनुसूची I के अनुसार नियुक्ति के लिए चयन पर विचार करने के लिए गठित किया गया है; और
- (2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों के नाम, उनका वर्गीकरण, पदों की संख्या और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर निम्नलिखित निर्दिष्टानुसार होंगे:

क्रम. सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	वैज्ञानिक	शून्य*	स्तर-10 (रु. 56100-177500)
2.	वैज्ञानिक 'सी'		14* (2026)	स्तर-11 (रु. 67700-208700)
3.	वैज्ञानिक 'डी'		2* (2026)	स्तर-12 (रु. 78800-209200)
4.	वैज्ञानिक 'ई'		6* (2026)	स्तर-13 (रु. 123100-215900)
5.	वैज्ञानिक 'एफ'		शून्य *	स्तर-13ए (रु. 131100-216600)
6.	वैज्ञानिक 'जी'		5* (2026)	स्तर-14 (रु. 144200-218200)
7.	वैज्ञानिक 'एच'		1* (2026)	स्तर-15 (रु. 182200-224100)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन

टिप्पण: प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियाँ फीडर ग्रेड के उन वैज्ञानिकों से पहले भरी जाएंगी, जिन्हें स्कीम के अंतर्गत अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अनुशंसित किया जाएगा। यदि स्कीम के अंतर्गत अगले ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार हेतु अनुशंसित वैज्ञानिकों की संख्या, प्रोन्नति ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो पदों की संख्या उस सीमा तक प्रोन्नति ग्रेड में स्वतः रूप से इस शर्त पर अपग्रेड हो जाएगी, कि सभी ग्रेडों की सम्मिलित स्वीकृत संख्या समान रहे। नौकरी छोड़कर चले जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियाँ सामान्यतः संबंधित वैज्ञानिक या तकनीकी श्रेणी के प्रवेश स्तर के ग्रेड में प्रत्यावर्तित हो जाएंगी। तथापि, प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, इनमें से कुछ रिक्तियों को प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए, रिक्ति के स्तर के आधार पर तथा समग्र स्वीकृत संख्या के भीतर अलग-अलग अभ्यर्थियों की उच्चतर अर्हताओं और कौशल के अनुरूप, भर्ती नियमों में विहित भर्ती पद्धति द्वारा भरा जा सकता है।

4. **भर्ती की पद्धति** – (1) वैज्ञानिक 'बी' से 'एच' तक का पद चयन पद होगा।

(2) भर्ती के प्रयोजन के लिए इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा।

(3) वैज्ञानिक 'बी' पदों के लिए भर्ती या तो सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल है) जैसा कि अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, के माध्यम से की जाएगी।

(4) वैज्ञानिक 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी' के पदों पर भर्ती या तो स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति/उन्नयन सीधे भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के माध्यम से, अनुसूची 3, अनुसूची 5 से अनुसूची 7 में यथानिर्दिष्ट और नियम 3 के अंतर्गत प्रस्तुत नोट के अनुसार की जाएगी।

(5) वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी' के प्रत्येक पद या प्रत्येक मामले के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति समय-समय पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

(6) वैज्ञानिक 'एच' के पद के लिए भर्ती निम्नलिखित में से किसी भी पद्धति द्वारा की जाएगी, अर्थात:-

(क) सीधी भर्ती:-

(ख) प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल है;

(ग) खुले बाजार के माध्यम से संविदा नियुक्ति,

जैसा कि अनुसूची 3, अनुसूची 5 से अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट है।

(7) वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ', 'जी' के पदों के लिए 'एच' और 'आवश्यक शैक्षणिक अर्हता और अनुभव के विशिष्ट विषय या क्षेत्र का निर्धारण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की उपलब्धता और किसी विशिष्ट विषय में वैज्ञानिकों की भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा; तथा विशिष्ट विषय का चयन अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में उल्लिखित विषयों की सूची में से किया जाएगा।

5. नियुक्ति प्राधिकारी - प्रतिष्ठान की कार्यकारी परिषद वैज्ञानिक 'बी' से लेकर वैज्ञानिक 'एच' तक के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

6. सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):- (1) स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया वैसी होगी जैसा कि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'एफ' के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति होगी।

(3) वैज्ञानिक 'जी' और वैज्ञानिक 'एच' के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु एक खोज-सह-चयन समिति होगी।

(4) उपरोक्त दोनों समितियों का गठन अनुसूची 1 में निर्दिष्टानुसार होगा और समिति के मनोनीत सदस्य उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को चयन हेतु विचार किया जाना है।

7. प्रोन्नति या उन्नयन - (1) वैज्ञानिक 'जी' के ग्रेड तक के वैज्ञानिकों की प्रोन्नति, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी और यथासमय संशोधित अनुकूलनीय पूरक योजना के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

(2) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' के ग्रेड में वैज्ञानिकों की पदोन्नति या उन्नयन नीचे दर्शाई गई न्यूनतम अनिवार्य सेवा अवधि के अनुसार होगा और योजना में निर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अनुपालन के अधीन होगा -

वेतन मेट्रिक्स में स्तर	पदनाम	प्रदर्शन से जुड़ी न्यूनतम अनिवार्य सेवा अवधि
स्तर-11	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'बी' के रूप में तीन वर्ष
स्तर -12	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'सी' के रूप में चार वर्ष
स्तर -13	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'डी' के रूप में चार वर्ष
स्तर -13ए	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'ई' के रूप में पाँच वर्ष
स्तर-14	वैज्ञानिक 'जी'	वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में पाँच वर्ष

(3) अनुसूची 7 में विनिर्दिष्टानुसार स्कीम के अंतर्गत मूल्यांकन के दो स्तर अर्थात् स्तर-1 छानबीन (आंतरिक

छानबीन समिति) और स्तर-2 छानबीन (मूल्यांकन बोर्ड या विभागीय समकक्ष व्यक्ति समीक्षा समिति), होंगे।

(4) मूल्यांकन वर्ष में दो बार किया जाएगा और उन वैज्ञानिकों, यथास्थिति जिन्होंने मूल्यांकन की अंतिम तारीख अर्थात् 1 जनवरी या 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार न्यूनतम सेवा कार्यकाल अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे और जिन्होंने मूल्यांकन की अंतिम तारीख से पहले की अवधि के लिए न्यूनतम सेवा कार्यकाल के वर्षों की संख्या के बराबर या उससे अधिक संख्या में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अर्जित की है या अर्जित करेंगे, के मामलों पर स्कीम के अधीन मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

(5) जो वैज्ञानिक स्तर-1 छानबीन या स्तर-2 छानबीन में अर्हित नहीं होंगे, उनका पुनः मूल्यांकन केवल एक वर्ष के बाद किया जाएगा जब वे कम से कम एक और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट अर्जित करेंगे। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से स्तर-1 और स्तर-2 छानबीन की जाएगी और यह उस चरण से शुरू नहीं होगी जिससे वैज्ञानिक असफल हुआ था।

(6) स्कीम के अधीन अगले ग्रेड में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया केवल तीन बार आयोजित की जाएगी, और उसके पश्चात्, वैज्ञानिक केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए यथा अनुमोदित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन दिशानिर्देशों के अधीन लाभान्वित होंगे और जैसा कि स्कीम में उपबंधित है, जिस वैज्ञानिक को एमएसीपी के अधीन कोई ग्रेड दिया गया है, उस पर अगले ग्रेड के लिए विचार किया जा सकता है।

(7) स्कीम के अधीन प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य कर रहे वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा अवधि पर प्रोन्नति या उन्नयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा और स्कीम के अधीन अनन्य रूप से प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य कर रहे वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों पर प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें केवल एमएसीपी के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।

(8) स्कीम के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए अनुशंसित वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन की तारीख वह होगी जिस तारीख को सक्षम प्राधिकारी ने प्रोन्नति या उन्नयन को अनुमोदित किया था। अवकाशकालीन अधिकारी या संगठन से बाहर प्रतिनियुक्त अधिकारी को केवल उस तारीख से प्रोन्नति या उन्नयन दिया जाएगा जिस तारीख से वे मूल कैडर में पुनः कार्य ग्रहण करते हैं या लौटते हैं।

(9) कोई भी पूर्वव्यापी पदोन्नति या उन्नयन नहीं होगा।

(10) वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर पदोन्नति या उन्नयन के लिए अनुसंधान और विकास में कम से कम दो वर्ष का फील्ड अनुभव या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुभव, तथा वैज्ञानिक 'जी' के लिए पाँच वर्ष का ऐसा अनुभव अनिवार्य होगा।

(11) न्यूनतम सेवा अवधि की गणना के लिए अवकाश की अवधि, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा, आदि पर बिताई गई अवधि का निर्धारण योजना में विनिर्दिष्टानुसार किया जाएगा।

(12) इन नियमों में जिस किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है, वह योजना के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

8. वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट – वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से वार्षिक आधार पर, स्कीम में दिए गए प्रारूप में, वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भरेंगे।

9. परिवीक्षा— (1) सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'बी' और 'सी' के ग्रेड में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी और सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'डी', 'ई', 'एफ', 'जी' और 'एच' के ग्रेड में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी:

परंतु नियंत्रक प्राधिकारी इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा यथासमय जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है:

परंतु यह और कि, परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का कोई भी विनिश्चय साधारणतया: पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ही संबंधित अधिकारी को ऐसा करने के कारणों के साथ लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण पर, यदि वैज्ञानिकों को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी नियुक्तियों में बनाए रखा जाएगा और उपलब्ध मूल रिक्तियों के विरुद्ध स्थायी किया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिष्ठान की यह राय है कि किसी भी वैज्ञानिक की सेवा और आचरण संतोषजनक नहीं है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, प्रतिष्ठान वैज्ञानिकों से ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और विनिर्देश का पालन करने तथा परीक्षाओं और परीक्षणों (हिंदी परीक्षा सहित) में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा कर सकता है, जिन्हें प्रतिष्ठान उचित समझे; जिससे परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से पूर्ति की शर्त पूर्ण हो सके।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, वैज्ञानिक इस विषय में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

10. पुष्टिकरण— सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिकों का पुष्टिकरण, विभागीय पुष्टिकरण समिति की सिफारिशों पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और विभागीय पुष्टिकरण समिति की संरचना निम्नानुसार होगी: -

(1) वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' के लिए:

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष;
2.	संयुक्त सचिव, प्रतिष्ठान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य;
3.	वैज्ञानिक 'जी', प्रतिष्ठान	सदस्य।

(1) वैज्ञानिक 'जी' और 'एच' के लिए:

1.	अध्यक्ष, प्रतिष्ठान, कार्यकारी परिषद	अध्यक्ष
2.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य;
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिष्ठान	सदस्य।

11. निर्हरता - कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति, से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृथक् कर सकती है।

12. चिकित्सा सुविधा— प्रतिष्ठान के अधिकारी अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे।

13. सेवानिवृत्ति लाभ - नई पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन स्कीम के उपबंध, जो समान वेतन स्तर वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों पर लागू होते हैं, प्रतिष्ठान के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

14. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

15. प्रारंभिक गठन.- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को इन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त सभी अधिकारी को इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त माने जाएंगे और इस प्रारंभ से पहले उक्त पदों पर उनके द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थायीकरण आदि के प्रयोजनों के लिए की जाएगी;

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले सेवा में रहे प्रतिष्ठान के अधिकारियों की सेवा के नियम और शर्तें इन नियमों के उपबंधों के अनुसार होंगी।

16. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची - I

पदनाम	चयन समिति की संरचना
वैज्ञानिक 'बी'	(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) एएनआरएफ के बाहर से तीन विशेषज्ञ।
वैज्ञानिक 'सी'	
वैज्ञानिक 'डी'	
वैज्ञानिक 'ई'	
वैज्ञानिक 'एफ'	

पदनाम	खोज-सह-चयन समिति की संरचना
वैज्ञानिक 'जी'	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग- अध्यक्ष; (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) - अध्यक्ष (3) एएनआरएफ के बाहर से तीन विशेषज्ञ।
वैज्ञानिक 'एच'	

अनुसूची -2

वैज्ञानिक 'बी' के पदों के लिए भर्ती

क. सीधी भर्ती -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(क) आवश्यक:

अनुसूची 5 में निर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

या

अनुसूची 6 में निर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)।

(ख) वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री;
या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण.- न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (आवश्यक अर्हता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान वर्ष अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि का, न कि डॉक्टरेट डिग्री का, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण.- आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।

(3) यदि प्रतिष्ठान आवश्यक समझे, तो स्क्रीनिंग प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा शामिल की जाएगी, जो प्रतिष्ठान द्वारा सीधे या क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली किसी अभिकरण या संगठन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएगी -

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्, -

(i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक; या -

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-9 (रु. 53100- 167800) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; या

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-8 (रु. 47600- 151100) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; और

(ख) उपरोक्त पैरा 1(क) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव धारक।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) शामिल है, तीन वर्ष से साधारणतया अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो स्कीम के अधीन प्रोन्नति/उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के अलावा जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त व्यक्ति भी है) स्कीम के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 3

वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'एच' तक के पदों के लिए भर्ती

I. वैज्ञानिक 'सी' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, -

(क) आवश्यक:

(i) अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री; या

अनुसूची 6 में निर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम); और

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में चार वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण.- न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (अनिवार्य आवश्यक अर्हता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी, तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि का, न कि डॉक्टरेट डिग्री का, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: -

सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण.— आयु-सीमा अवधारित की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):— प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएगी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,

(क) (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक; या

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में स्तर-10 (रु. 56100- 177500/-) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; और

(ख) उपरोक्त पैरा (1)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव धारक।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) शामिल है, चार वर्ष से साधारणतया अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो स्कीम के अधीन प्रोन्नति/उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त व्यक्ति भी है) स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

II. वैज्ञानिक 'डी' पदों के लिए:

A. सीधी भर्ती:-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,-

(क) आवश्यक:

(i) अनुसूची 5 में निर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

या

अनुसूची 6 में निर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में आठ वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (आवश्यक अर्हता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी, तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि का, न कि डॉक्टरेट डिग्री का, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: -

सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में गैर दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि दूरस्थ क्षेत्रों अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख होगी।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):— प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएगी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,

(क) (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक;

या

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में स्तर-11 (रु. 67700- 208700) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; और

(ख) उपरोक्त पैरा (1)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, चार वर्ष से साधारणतया अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सहित) स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

III. वैज्ञानिक 'ई' के पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती: -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,-

(क) आवश्यक:

(i) अनुसूची 5 में निर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

या

अनुसूची 6 में निर्दिष्ट किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री (न्यूनतम चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम)।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में बारह वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। जिन मामलों में स्नातकोत्तर डिग्री न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वहाँ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (आज्ञापक अर्हता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी, तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि का, न कि डॉक्टरेट डिग्री का, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: -

सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा पैंतालिस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख होगी।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):— प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएगी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों,

सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,

(क) (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक; या

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में स्तर-12 (रु. 78800 - 209200) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; और

(ख) उपरोक्त पैरा (1)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, चार वर्ष से साधारणतया अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

IV. वैज्ञानिक 'एफ' के पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती: -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: -

(क) आवश्यक:

(i) अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री;

या

अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में सोलह वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट डॉक्टरेट अनुभव; या

अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पण.- न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। केवल उन मामलों में जहाँ स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (आज्ञापक अर्हता के क्षेत्र में) डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि, जैसा कि संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूर्ण होने की शर्त के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की सीमा तक, अनुभव के रूप में गिनी जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री

प्राप्त करने के लिए व्यतीत की गई अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। हालांकि, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने (डिग्री प्रदान किए जाने की स्थिति में) की समान अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल नियोजन की अवधि के लिए की जाएगी न कि डॉक्टरेट की डिग्री का, जोड़ा जाएगा।।"

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: - सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण.- आयु-सीमा अवधारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि दूरस्थ क्षेत्रों अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख होगी।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएगी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क)(i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक; या

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में लेवल-13 (रू.123100- 215900) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; और

(ख) उपरोक्त पैरा (1)(क) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारित करना।

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

टिप्पण 2.- पोषक वर्ग (फीडर ग्रेड) के वे विभागीय अभ्यर्थी, जो पदोन्नति या स्कीम के अधीन उन्नयन की सीधी कतार में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे, सिवाय उन संवर्ग-बाह्य पदों के जिनके लिए वे पोषक ग्रेड अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) स्कीम के अधीन पदोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

V. वैज्ञानिक 'जी' पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती: -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: -

(क) आवश्यक:

अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

- (i) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में इक्कीस वर्ष का अनुभव।
- (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विकसन, प्रबंधन और निर्देशन का दो वर्ष का अनुभव, और
- (iii) उच्च स्तर के प्रकाशित शोध कार्य

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री;

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। केवल उन मामलों में जहाँ स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (अनिवार्य अर्हता के क्षेत्र में) डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि, जैसा कि संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूर्ण होने की शर्त के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की सीमा तक, अनुभव के रूप में गिनी जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यतीत की गई अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। हालांकि, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने (डिग्री प्रदान किए जाने की स्थिति में) की समान अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल नियोजन की अवधि के लिए की जाएगी न कि डॉक्टरेट की डिग्री का, जोड़ा जाएगा। (2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: - सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा पचास वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में गैर दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि दूरस्थ क्षेत्रों अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख होगी।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएगी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक; या

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में स्तर-13ए (रु. 131100- 216600) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; और

(ख) उपरोक्त पैरा (1)(क) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारित करना।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) शामिल है, पांच वर्ष से साधारणतया अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो स्कीम के तहत प्रोन्नति या उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

VI. वैज्ञानिक 'एच' के पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती: -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: -

(क) आवश्यक:

(i) अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास का इक्कीस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष वरिष्ठ स्तर (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 और उससे ऊपर) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के नियोजन, प्रशासन और संगठन के विकास तथा समन्वय का होना चाहिए।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विकसन, प्रबंधन और निर्देशन का अनुभव, और

(iv) उच्च स्तर के प्रकाशित शोध कार्य।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री;

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। केवल उन मामलों में जहाँ स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (अनिवार्य अर्हता के क्षेत्र में) डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि, जैसा कि संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूर्ण होने की शर्त के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की सीमा तक, अनुभव के रूप में गिनी जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यतीत की गई अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। तथापि, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने (डिग्री प्रदान किए जाने की स्थिति में) की समान अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल नियोजन की अवधि के लिए की जाएगी न कि डॉक्टरेट की डिग्री का, जोड़ा जाएगा। (2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: - सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में गैर दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि दूरस्थ क्षेत्रों अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-मंडल , अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख होगी।

ख. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):— प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की जाएगी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सांविधिक या स्वायत्त संगठनों, विश्वविद्यालयों या भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् होंगे,-

(क) (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारक; या

(ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में स्तर-14 (रु.144200- 218200/-) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले; और

(ख) उपरोक्त पैरा (1)(क) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारित करना।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, पांच वर्ष से साधारणतया अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो स्कीम के तहत प्रोन्नति/उन्नयन की सीधी पंक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) स्कीम के अधीन प्रोन्नति/उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ग. बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति:-

उपरोक्त उप-नियम 6 बी के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों के लिए बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति द्वारा भर्ती के मानदंड निम्नलिखित होंगे;

(1) शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:-

(क) आवश्यक:

(i) अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री; या

(ii) अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री।

(iii) उद्योग या निजी क्षेत्र या विदेशी संस्थानों या गैर-सरकारी संगठनों में अनुसंधान और विकास का इक्कीस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष वरिष्ठ स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के नियोजन, प्रशासन और संगठन के विकास तथा समन्वय का होना चाहिए।

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विकसन, प्रबंधन और निर्देशन का अनुभव, और

(v) उच्च स्तर के प्रकाशित शोध कार्य।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री;

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। केवल उन मामलों में जहाँ स्नातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (अनिवार्य अर्हता के क्षेत्र में) डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि, जैसा कि संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूर्ण होने की शर्त के अधीन और अधिकतम दो वर्ष की सीमा तक, अनुभव के रूप में गिनी जाएगी। यदि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान नहीं की गई है, तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यतीत की गई अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। हालांकि, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने (डिग्री प्रदान किए जाने की स्थिति में) की समान अवधि के दौरान दो वर्ष से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में, अनुभव की गणना केवल नियोजन की अवधि के लिए की जाएगी न कि डॉक्टरेट की डिग्री का, जोड़ा जाएगा।।"

(2) पद की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) वैज्ञानिक 'एच' के रूप में नियुक्त उद्योग या निजी क्षेत्र या विदेशी संस्थानों या गैर-सरकारी संगठनों के व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति जो उपरोक्त उप-नियम 6 ए और 6 बी के अंतर्गत शामिल नहीं है, ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 पर लागू हो सकते हैं।"

(4) बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अठ्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 4

1. बाह्य चिकित्सा उपचार - (1) अधिकारी स्वयं और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "कुटुंब" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 में इसे दिया गया है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी:

परंतु वर्ष के दौरान किसी वेतन वृद्धि या पदोन्नति का प्रभाव 1 जनवरी को निर्धारित सीमा पर नहीं पड़ेगा।

(3) चिकित्सा दावे के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी का पर्चा और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित उपचार और दवाओं की खरीद के मूल कैश मेमो या बिल लगे होने चाहिए।

(4) 1 जनवरी के बाद वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के लिए, वार्षिक हकदारी आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित होगी।

(5) बहिरंग उपचार केवल प्रतिष्ठान द्वारा विधिवत रूप से सूचीबद्ध अधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही प्राप्त किया जा सकेगा।

(6) गंभीर बीमारियों की स्थिति में, दवाओं और परीक्षणों, यदि कोई हो, की लागत की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या कवर किए गए अस्पतालों का पर्चा स्वीकार्य होगा।

(7) अत्यधिक लागत वाले उपचार के प्रयोजनार्थ, प्रतिपूर्ति, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम या केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार, अलग-अलग मामले के आधार पर प्रतिष्ठान के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट दरों पर स्वीकार्य होगी।

(8) आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी निकटतम अस्पताल में इलाज करा सकता है और व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी, यह चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल प्राधिकारियों के आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।

2. आंतरिक चिकित्सा उपचार- (1) आंतरिक चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी इस संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा अधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पताल में उपचार वही होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के अनुसार चिकित्सा प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए अनुमेय है।

3. आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर ही उपचार लिया जा सकता है।

अनुसूची 5

विज्ञान की शाखाएं

क्र. सं.	संकाय	समकक्ष
(1)	(2)	(3)
1.	भौतिक विज्ञान	1. भौतिकी 2. भौतिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) 3. अनुप्रयुक्त भौतिकी 4. ठोस अवस्था भौतिकी 5. संगणनात्मक भौतिकी 6. इंजीनियरी भौतिकी 7. भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स 8. भौतिकी में विशेषज्ञता के साथ बुनियादी विज्ञान 9. मुख्य विषय के रूप में 'भौतिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत विषय
2.	रसायन विज्ञान	1. रसायन शास्त्र 2. कार्बनिक रसायन विज्ञान 3. अकार्बनिक रसायन विज्ञान 4. विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान 5. भौतिक रसायन विज्ञान 6. अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान 7. रासायन विज्ञान 8. मुख्य विषय के रूप में 'रसायन शास्त्र' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सम्बद्ध विषय
3.	जैविक विज्ञान	1. जीवविज्ञान 2. जीवन विज्ञान 3. जैव प्रौद्योगिकी

		4. जैवरसायन विज्ञान- 5. सूक्ष्म जीव विज्ञान 6. फोरेंसिक विज्ञान 7. कोई अन्य सुसंगत विषय जिसमें 'जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी' मुख्य विषय के रूप में अर्हक डिग्री हो।
4	भू-वायुमंडलीय विज्ञान	1. भूविज्ञान और भूभौतिकी 2. भूविज्ञान 3. अनुप्रयुक्त भूविज्ञान 4. समुद्री विज्ञान 5. वायुमंडलीय विज्ञान 6. मौसम विज्ञान 7. समुद्र विज्ञान और तटीय क्षेत्र अध्ययन 8. भौतिक समुद्र विज्ञान 9. भू-सूचना विज्ञान 10. समुद्री भूभौतिकी 11. भूविज्ञान और खनिज विज्ञान 12. पृथ्वी विज्ञान 13. भूभौतिकी 14. अनुप्रयुक्त भूभौतिकी 15. कोई भी अन्य सुसंगत विषय जिसमें 'भू-विज्ञान और/या भू-भौतिकी' मुख्य विषय के रूप में अर्हक डिग्री हो
5.	पर्यावरण विज्ञान	1. पर्यावरण और पारिस्थितिकी 2. पर्यावरण 3. पारिस्थितिकी 4. मुख्य विषय के रूप में 'पर्यावरण और/या पारिस्थितिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत विषय
6.	गणितीय विज्ञान	1. गणित 2. अनुप्रयुक्त गणित 3. गणित और कंप्यूटिंग 4. गणितीय विज्ञान 5. सांख्यिकी 6. मुख्य विषय के रूप में 'गणित' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत विषय
7.	कम्प्यूटेशनल और सूचना विज्ञान	1. संगणनात्मक विज्ञान 2. डेटा विज्ञान 3. सांख्यिकी 4. संगणनात्मक सांख्यिकी 5. सूचना विज्ञान 6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अधिगम 7. साइबर फिजिकल सिस्टम 8. अनुप्रयुक्त सांख्यिकी 9. क्रिप्टोग्राफी

		10. मुख्य विषय के रूप में 'संगणनात्मक और/या सूचना' के साथ अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय
8.	कृषि विज्ञान	1. कृषि 2. कृषि भौतिकी 3. कृषि रसायन विज्ञान 4. कृषि इंजीनियरिंग 5. कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान 6. सब्जी विज्ञान 7. कृषि शास्त्र 8. उद्यान विज्ञान 9. मुख्य विषय के रूप में 'कृषि' के साथ अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय

अनुसूची 6

इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्साशास्त्र या पशु चिकित्सा विज्ञान या भेषज विज्ञान (न्यूनतम चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम)

क्षेत्र	संकाय	समकक्ष
(1)	(2)	(3)
इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्साशास्त्र या पशु चिकित्सा विज्ञान या भेषज विज्ञान	1. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी	1. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी 2. इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी 3. इलेक्ट्रॉनिकी और कंप्यूटर इंजीनियरी 4. इलेक्ट्रॉनिकी और नियंत्रण इंजीनियरी 5. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रणाली इंजीनियरी 6. इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी 7. इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी 8. इलेक्ट्रॉनिकी और टेलीमैटिक्स इंजीनियरी 9. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी 10. दूरसंचार इंजीनियरी 11. दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी 12. अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी 13. इलेक्ट्रॉनिकी और इलेक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी 14. संचार इंजीनियरी सहित इलेक्ट्रिकल 15. रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी 16. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी 17. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी 18. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी (वैमानिकी) 19. मुख्य विषय के रूप में 'इलेक्ट्रॉनिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय

	2. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी	1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी 2. इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरी 3. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी 4. इलेक्ट्रिकल और नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरी 5. पावर इंजीनियरी 6. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी 7. इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी 8. संचार इंजीनियरी के साथ इलेक्ट्रिकल 9. नियंत्रण प्रणाली 10. इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण इंजीनियरी 11. मुख्य विषय के रूप में 'इलेक्ट्रिकल' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय
	3. मैकेनिकल इंजीनियरी	1. यांत्रिक इंजीनियरी 2. यांत्रिक और स्वचालन इंजीनियरी 3. यांत्रिक और प्रोडक्शन इंजीनियरी 4. मेकट्रॉनिक्स इंजीनियरी 5. विनिर्माण इंजीनियरी 6. डिजाइनिंग इंजीनियरी 7. एयरोस्पेस इंजीनियरी 8. रोबोटिक्स 9. मुख्य विषय के रूप में 'यांत्रिक' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय
	4. उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी	1. प्रोडक्शन इंजीनियरी 2. औद्योगिक उत्पादन इंजीनियरी 3. उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी 4. मुख्य विषय के रूप में 'उत्पादन और औद्योगिक' के साथ अर्हक डिग्री और कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय
	5. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी	1. कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी 2. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी 3. कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरी और सूचना प्रौद्योगिकी 4. कंप्यूटर विज्ञान और सिस्टम इंजीनियरी 5. सॉफ्टवेयर इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी 6. कंप्यूटर विज्ञान और स्वचालन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी 7. सूचना प्रौद्योगिकी 8. साइबर फिजिकल सिस्टम 9. कंप्यूटर विज्ञान या प्रौद्योगिकी और सूचना विज्ञान इंजीनियरींग या प्रौद्योगिकी 10. सूचना विज्ञान और इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी 11. कंप्यूटर और संचार इंजीनियरि 12. कंप्यूटर नेटवर्किंग, सूचना प्रौद्योगिकी, गणितीय नवाचार 13. कृत्रिम बुद्धिमत्ता 14. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अधिगम 15. क्वांटम प्रौद्योगिकी 16. मुख्य विषय के रूप में 'कंप्यूटर' के साथ अर्हक डिग्री और कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय

	6. पदार्थ इंजीनियरी या पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरी या धातुकर्मीय इंजीनियरी	1. धातुकर्म और पदार्थ प्रौद्योगिकी 2. धातुकर्म या धातुकर्मीय इंजीनियरी 3. पदार्थ इंजीनियरी 4. पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरी 5. पदार्थ विज्ञान और धातुकर्मीय इंजीनियरी 6. खनन और खनिज इंजीनियरी 7. खनन और खनिज प्रसंस्करण इंजीनियरी 8. टेक्स्टाइल इंजीनियरी 9. मुख्य विषय के रूप में 'पदार्थ इंजीनियरी' या 'पदार्थ विज्ञान' या 'धातुकर्म' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी प्रौद्योगिकी विषय
	7. पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी	1. पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी 2. ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरी 3. पर्यावरण इंजीनियरी 4. सिविल और पर्यावरण इंजीनियरी 5. सिविल पर्यावरण इंजीनियरी 6. ऊर्जा पर्यावरण और जलवायु 7. पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी 8. नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरी पर्यावरण और जल संसाधन इंजीनियरी 9. मुख्य विषय के रूप में 'पर्यावरण विज्ञान' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय
	8. सिविल इंजीनियरी	1. सिविल इंजीनियरी 2. सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरी 3. सिविल और पर्यावरण इंजीनियरी 4. सिविल और ग्रामीण इंजीनियरी 5. सिविल और जल प्रबंधन इंजीनियरी 6. सिविल और अवसंरचना इंजीनियरी 7. निर्माण इंजीनियरी, कोई अन्य प्रासंगिक 8. आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग 9. सिविल और परिवहन इंजीनियरी 10. भू-तकनीकी इंजीनियरी 11. जल संसाधन इंजीनियरी 12. मुख्य विषय के रूप में 'सिविल' विषय अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय
	9. रसायन इंजीनियरी	1. रसायन प्रौद्योगिकी 2. रसायन प्लांट इंजीनियरिंग 3. अनुप्रयुक्त रासायनिक एवं बहुलक प्रौद्योगिकी 4. बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी 5. रसायन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 6. खाद्य प्रौद्योगिकी 7. मुख्य विषय के रूप में 'रसायन' विषय अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय

	10. जैव प्रौद्योगिकी	1. जैव प्रौद्योगिकी 2. जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी 3. जैव सूचना विज्ञान 4. खाद्य प्रौद्योगिकी 5. मुख्य विषय के रूप में 'जैव प्रौद्योगिकी' विषय के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी विषय
	11. औषध-भेषजीय विज्ञान	1. औषधशास्त्र 2. फार्मेसी 3. औषधीय रसायन विज्ञान 4. औषध-भेषजीय रसायन विज्ञान 5. मुख्य विषय के रूप में 'फार्मेसी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत विषय
	12. मेडिसिन	'मेडिसिन' में अर्हक डिग्री के साथ कोई भी सुसंगत विषय
	13. पशु चिकित्सा विज्ञान	पशु चिकित्सा विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में अर्हक डिग्री के साथ कोई भी सुसंगत विषय

अनुसूची 7

स्कीम के अधीन मूल्यांकन प्रक्रिया

1. स्तर-1 छानबीन आंतरिक : छानबीन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

1.	प्रतिष्ठान या भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी वैज्ञानिक विभाग या वैज्ञानिक संगठन से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक।	अध्यक्ष
2.	प्रतिष्ठान से या भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी वैज्ञानिक विभाग या वैज्ञानिक संगठन से दो वैज्ञानिक।	सदस्य
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से एक वैज्ञानिक।	सदस्य.

टिप्पण 1.- उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 2 पर वर्णित अध्यक्ष और सदस्यों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

टिप्पण 2.- सामान्यतः, अध्यक्ष उस पद से कम से कम दो स्तर ऊपर होगा जिस पर प्रोन्नति या उन्नयन किया जाना है, और उपरोक्त क्रम संख्या 2 के सदस्य उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिस पर प्रोन्नति या उन्नयन किया जाना है।

टिप्पण 3.- आंतरिक छानबीन समिति की कार्यवाही से किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति, उक्त समिति की सिफारिशों को अमान्य नहीं बनाएगी।

टिप्पण 4.- आंतरिक छानबीन समिति की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन होगी।

टिप्पण 5.- आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान(एएनआरएफ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की स्वीकृति के अधीन होंगी।

2. स्तर-2 स्क्रीनिंग:

2.1 मूल्यांकन बोर्ड का गठन (वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'ई' तक के पद पर स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन पर

विचार हेतु, असाधारण मेधावी श्रेणी के अतिरिक्त):

1.	प्रतिष्ठान के बाहर से प्रतिष्ठित एक प्रख्यात वैज्ञानिक (चाहे वे सेवारत हों या सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2.	दो या तीन बाहरी विशेषज्ञ	सदस्य
3.	प्रतिष्ठान के एक या दो वैज्ञानिक।	सदस्य

2.2 विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति का गठन (वैज्ञानिक 'एफ' या 'जी' के पद पर स्कीम के अधीन पदोन्नति या उन्नयन पर विचार करने के लिए):

1.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिष्ठान	सदस्य
3.	अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के दो सचिव या उनके प्रतिनिधि, जो उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर हों जिस पर पदोन्नति की जानी है।	सदस्य
4.	संबंधित क्षेत्र के दो से तीन प्रख्यात वैज्ञानिक या विशेषज्ञ, जिनका पद अपर सचिव या उसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
5.	वैज्ञानिक 'जी' के लिए अपर सचिव और वैज्ञानिक 'एफ' के लिए संयुक्त सचिव स्तर का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

[फा. सं. आरआर/एएनआरएफ-2025]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2026

G.S.R. 310(E).— Whereas certain draft rules, namely, the Anusandhan National Research Foundation Group 'A' Posts (Non-ministerial, Scientific and Technical) Recruitment Rules, 2025, were published, as required by sub-section (1) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th August, 2025 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And Whereas, objections and suggestions received in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1.Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation, Group 'A' Posts (Non-ministerial, Scientific and Technical) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, "Act" means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);

"controlling authority" means the Executive Council of the Foundation;

(a) "Foundation" means the Anusandhan National Research Foundation established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(b) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;

(c) “Scheme” means the Revised Flexible Complementing Scheme as issued by the Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. AB- 14017/41/2013-PP(RR), dated the 13th March, 2024;

(d) “Scientific Post” means the posts specified in the Scheme;

(e) “Selection Committee” means the Committee constituted to consider selection for appointment in accordance with Schedule I to these rules; and

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The name of posts, their classification, number of posts and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified under: -

Sl. No.	Name of post	Classification	Number of posts	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist ‘B’	Scientific	Nil*	Level-10 (Rs. 56100-177500)
2.	Scientist ‘C’		14* (2026)	Level-11 (Rs. 67700-208700)
3.	Scientist ‘D’		2* (2026)	Level-12 (Rs. 78800-209200)
4.	Scientist ‘E’		6* (2026)	Level-13 (Rs. 123100-215900)
5.	Scientist ‘F’		Nil*	Level-13A (Rs. 131100-216600)
6.	Scientist ‘G’		5* (2026)	Level-14 (Rs. 144200-218200)
7.	Scientist ‘H’		1* (2026)	Level-15 (Rs. 182200-224100)

*Subject to variation dependent on workload.

Note.- The vacancies in each grade up to Scientist ‘G’ shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same. Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category. However, based on functional needs and with the approval of competent authority, some of these vacancies may be filled by the method of recruitment prescribed in these rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

4. Method of recruitment. – (1) The posts of Scientists ‘B’ to ‘H’ shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment.

(3) Recruitment for the posts of Scientist ‘B’ shall be made either by direct recruitment or deputation (including short-term contract) as specified in Schedule II.

(4) Recruitment for the posts of Scientists ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’ and ‘G’ shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short-term contract) as specified in Schedule III, Schedule V to Schedule VII and as per Note under rule 3.

(5) Particular method of recruitment for each post or each case of Scientist 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G' shall be decided by the controlling authority from time to time.

(6) Recruitment for the post of Scientist 'H' shall be made by any of the following method, namely: -

- (a) Direct recruitment;
 - (b) By deputation, including short-term contract;
 - (c) Contractual appointment through open market,
- as specified in Schedule III, Schedule V to Schedule VII.

(7) Particular discipline or field of essential educational qualification and experience for the posts of Scientist 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' shall be decided by the controlling authority, keeping in view the availability of Scientists of different disciplines and further requirement of Scientist in a particular discipline and the particular discipline shall be chosen from a list of disciplines mentioned in Schedule V and Schedule VI.

5. Appointing Authority. - The Executive Council of the Foundation shall be the appointing authority in respect of Scientist 'B' to Scientist 'H'.

6. Direct recruitment or deputation (including short-term contract).- (1) The screening and selection process shall be as specified by the controlling authority.

- (2) There shall be a Selection Committee for making recommendations for appointment in respect of Scientist 'B' to Scientist 'F'.
- (3) There shall be a Search-cum-Selection Committee for making recommendations for appointment in respect of Scientist 'G' and Scientist 'H'.
- (4) The constitution of both the above Committees shall be as specified in Schedule I and the nominated members of the committee shall be at least one level above the post for which the candidate is to be considered for selection.

7. Promotion or upgradation. - (1) Promotions of the Scientists up to the grade of Scientist 'G', shall be governed by the provisions of the Revised Flexible Complementing Scheme issued and as amended from time to time by the Central Government.

Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' to Scientist 'G' shall be as per the minimum residency period indicated below and subject to compliance with other provisions specified in the Scheme -

Level in the pay matrix	Designation	Minimum Residency Period linked to Performance
Level-11	Scientist 'C'	Three years as Scientist- 'B'
Level-12	Scientist 'D'	Four years as Scientist - 'C'
Level-13	Scientist 'E'	Four years as Scientist - 'D'
Level-13A	Scientist 'F'	Five years as Scientist - 'E'
Level-14	Scientist 'G'	Five years as Scientist - 'F'

(2) There shall be two level of assessment under the Scheme, namely, level-1 Screening (Internal Screening Committee) and level-2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee), as specified in Schedule VII.

(3) The assessment shall be done twice in a year and cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut- off dates of assessment , that is, 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or will earn number of Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Reports equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for assessment under the Scheme.

(4) Scientist who does not qualify either in level-1 Screening or level-2 Screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report and Annual Work Report and such re- assessment would again entail level-1 and level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify.

(5) The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade shall be conducted only thrice, and thereafter, the scientist shall be covered under Modified Assured Career Progress guidelines as approved for Central Government civilian employees and the scientist who has been granted any grade under Modified Assured Career Progress may be considered for next grade as provided for in the Scheme.

(6) The period of service of Scientists or Technical experts doing management or administrative work shall not be counted for promotion or upgradation under the Scheme and Scientists or Technical experts doing exclusively management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given benefit of upgradation under Modified Assured Career Progress.

(7) The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the competent authority approved the promotion or upgradation and officers on leave or deputation outside the organisation shall be given promotion or upgradation only with effect from the date they rejoin or return to the parent cadre.

(8) There shall be no retrospective promotion or upgradation.

(9) The field experience, in research and development or experience in implementation of scientific projects, of at least two years for promotion or upgradation to Scientist 'F' and five years for promotion or upgradation to Scientist 'G' shall be essential.

(10) Treatment of period of leave, period spent on deputation or foreign service, etc., towards counting of minimum residency period shall be as specified in the Scheme.

(11) Anything not mentioned in these rules shall be governed by provisions of the Scheme.

8. Annual Performance Appraisal Reports and Annual Work Reports. – The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

9. Probation. – (1) The period of probation shall be two years for Scientists appointed to the grade of Scientist 'B' and 'C' by direct recruitment and one year for Scientists appointed to the grade of Scientist 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' by direct recruitment:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Foundation is of the opinion that the service and conduct of any Scientist is not satisfactory, his services may be terminated.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Foundation to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Foundation may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, Scientists shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

10. Confirmation. – Confirmation of Scientists appointed through direct recruitment shall be done by the controlling authority on the recommendations of Departmental Confirmation Committee and the composition of Departmental Confirmation Committee shall be as follows: -

(1) For Scientist 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F':

1.	Chief Executive Officer	Chairperson;
2.	Joint Secretary from the Foundation or Department of Science and Technology	Member;
3.	Scientist 'G' from the Foundation	Member.

(2) For Scientist 'G' and 'H':

1.	Chairperson of the Executive Council of the Foundation	Chairperson;
2.	Secretary, Department of Science and Technology	Member;
3.	Chief Executive Officer of the Foundation	Member.

11. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Medical facility.- The officers of the Foundation shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule IV.

13. Retirement benefits. - The provisions of New Pension Scheme or Unified Pension Scheme as applicable to the Central Government Officers of corresponding pay levels, shall be applicable to the officers of the Foundation.

14. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Initial Constitution .- (1) All officers appointed on a regular basis to these posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the said post under these rules and the regular service rendered by them in the said post before such commencement shall be taken into account for the purposes of seniority, promotion, confirmation, etc.

(2) The terms and conditions of service of the officers of the Foundation in service immediately before the commencement of these rules shall be in accordance with the provisions of these rules.

16. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule I

Name of Post	Composition of Selection Committee
Scientist 'B'	(1) Chief Executive Officer (CEO), Anusandhan National Research Foundation (ANRF)- Chairperson;
Scientist 'C'	(2) Joint Secretary from the Foundation (ANRF) or Department of Science and Technology- Member;
Scientist 'D'	(3) Three experts from outside ANRF.
Scientist 'E'	
Scientist 'F'	

Name of Post	Composition of Search-cum-Selection Committee
Scientist 'G'	(1) Secretary, Department of Science and Technology- Chairperson;
Scientist 'H'	(2) Chief Executive Officer (CEO) of the Foundation (ANRF) - Member;
	(3) Three experts from outside ANRF.

Schedule II
Recruitment for the post of Scientist 'B'

A. Direct Recruitment: -

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

Master's degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

or

Bachelor's degree (minimum four-year degree course) from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(b) Desirable:

(i) Doctorate degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V;

or

Master's degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

(ii) One year experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

Note. - The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of Essential Qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits.- The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed thirty-five years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(3) If the Foundation considers it necessary, a written test will be included in the screening process, which will be conducted by the Foundation directly or through any agency or organisation having experience and expertise in the area.

A. Deputation (including short-term contract).- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which the deputation (including short-term contract) to be made: -

(a) Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organisations, universities or recognised research institutions in India or abroad, -

(i) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-9 (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-8 (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruit in paragraph 1(a) above.

Note 1.- The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 2.- The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Schedule III Recruitment for the posts of Scientist 'C' to Scientist 'H'

I. For the posts of Scientist 'C':

A. Direct recruitment: -

(1) Educational and other qualification required for direct recruits, -

(a) Essential:

(i) Master's degree from a recognized university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Bachelor's degree (minimum four-year degree course) from a recognized university or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI; and

(ii) Four years' experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's Degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note.- The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed thirty-five years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

A. Deputation (including short-term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organisations, Universities or recognised research institutions in India or abroad, -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or
- (ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level- 10 (Rs. 56100-177500/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para (1)(a) above.

Note 1.- The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2.- The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

II. For the posts of Scientist 'D':

A. Direct Recruitment: -

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits,-

(c) Essential:

(i) Master's degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

or

Bachelor's degree (minimum four-year degree course) from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(ii) Eight years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(d) Desirable:

Doctorate degree from a recognized university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or Master's degree from a recognized University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note.- The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed forty years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organisations, universities or recognised research institutions in India or abroad,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or
(ii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 11 (Rs.67700- 208700) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para (1)(a) above.

Note 1.- The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2.- The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

III. For the posts of Scientist 'E':

A. Direct recruitment: -

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits,-

(a) Essential:

(i) Master's degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

or

Bachelor's degree (minimum four-year degree course) from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(ii) Twelve years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organization.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or Master's degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note.- The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognized University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed forty-five years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organisations, universities or recognised research institutions in India or abroad,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 (Rs. 78800 – 209200) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para (1)(a) above.

Note 1.- The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2.- The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

IV. For the posts of Scientist 'F':

A. Direct recruitment: -

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

(i) Doctorate degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(ii) Sixteen years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(b) Desirable:

Post Doctorate experience from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Doctorate degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note. – The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification – Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such university or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on

obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed fifty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organisations, universities or recognised research institutions in India or abroad,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or
(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 13 (Rs. 123100-215900) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under para (1)(a) above.

Note 1.- The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2.- Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

V. For the posts of Scientist 'G':

A. Direct recruitment: -

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

Doctorate degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or Master's degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(i) Twenty one years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(ii) two years of experience in evolving, managing and directing science and technology program; and

(iii) published research work of high standard.

(b) Desirable:

Post Doctorate degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Doctorate Degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note.- The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification - Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised university or institute, as evidenced by certification by such university or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed fifty years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organisations, universities or recognised research Institutions in India or abroad,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department, or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 13A (Rs.131100-216600) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under para (1)(a) above.

Note 1.- The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or

Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2.- The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.

VI. For the posts of Scientist 'H':

A. Direct recruitment: -

(1) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

(i) Doctorate degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

Master's degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(ii) Twenty one years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation, out of which at least ten years should be in planning, administration and development of

organisation and coordination of Science and Technology programs at the senior level (- level 13 and above in the pay matrix)

(iii) Experience in evolving, managing and directing science and technology program; and

(iv) published research work of high standard.

(b) Desirable:

Post Doctorate degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or Doctorate degree from a recognised university or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note.- The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification – Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed fifty-two years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organisations, universities or recognised research Institutions in India or abroad,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department, or

(ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 14 (Rs.144200-218200/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under para (1)(a) above.

Note 1.- The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2.- The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.

B. Contractual appointment through open market:-

The criteria for recruitment by Contractual appointment through open market for the person not covered under sub-rule VI B above shall be as following;

(1) Educational and other qualifications:-

(a) Essential:

(i) Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or

(ii) Master's degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

(iii) Twenty one years experience in Research and Development in Industry or private sector or overseas institutions or Non-Government Organisation, out of which at least ten years should be in planning, administration and development of organisation and coordination of Science and Technology programs at the senior level.

(iv) Experience in evolving, managing and directing science and technology program; and

(v) published research work of high standard.

(b) Desirable:

Post Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V; or
 Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule VI.

Note.- The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification – Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised university or institute, as evidenced by certification by such university or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) The term of office shall be for a period of three years from the date of assumption of charge, and shall be eligible for reappointment on such terms and conditions which may be determined from time to time.

(3) Person from Industry or private sector or overseas institutions or Non-Government Organisation, or any other person not covered under sub-rule VI A and VI B above, appointed as Scientist 'H' shall be drawing a salary and allowances of such amount, as may be applicable to level-15 of the pay matrix.

(4) The maximum age-limit for appointment by contractual appointment through open market shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.

Schedule IV

1. Outdoor medical treatment.— (1) The officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "family" shall have the meaning assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st day of January of the year (basic pay plus dearness allowance) whichever is less:

Provided that release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st day of January.

(3) The medical claim shall be supported by medical officer's prescription and the original cash memos or bills for treatment and purchase of medicines duly signed and authenticated with the signature and seal of the medical officer.

(4) For officers joining the duty during the year after the 1st day of January, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be availed only from the Authorised Medical Attendants duly empanelled by the Foundation.

(6) In case of chronic ailments, prescription from the hospitals recognised or covered under the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944 or the Central Government Health Scheme shall be admissible for the purposes of reimbursement of the cost of medicines and tests, if any.

(7) For the purposes of cost intensive treatment, the reimbursement shall be admissible at the rates specified in accordance with the provisions of the Central Government Health Scheme or the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 with the approval of the Foundation on a case to case basis.

(8) In case of emergency, the officer may avail treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates specified under the Central Government Health Scheme subject to production of emergency certificate from the medical officer or the hospital authorities.

2. Indoor medical treatment.- (1) For the purposes of indoor medical treatment, the officer shall be eligible to avail treatment in hospitals authorised by the Foundation in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government officers drawing equivalent salary in pay matrix.

(2) The treatment in authorized hospitals referred to in sub-rule (1) shall be the same as may be admissible to the Central Government officers availing the treatment in accordance with the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(3) The treatment at authorized hospitals referred to in sub-rule (1) shall be availed only on the advice of the Authorised Medical Attendant, except in emergency cases.

Schedule V

Science disciplines

Sr. No.	Discipline	Equivalent
(1)	(2)	(3)
1.	Physical Sciences	1. Physics 2. Physics (Electronics) 3. Applied Physics 4. Solid State Physics 5. Computational Physics 6. Engineering Physics 7. Physics and Electronics 8. Basic Sciences with specialization in Physics 9. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Physics' as the main discipline
2.	Chemical Sciences	1. Chemistry 2. Organic Chemistry 3. Inorganic Chemistry 4. Analytical Chemistry 5. Physical Chemistry 6. Applied Chemistry 7. Chemical Sciences 8. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Chemistry' as the main discipline
3.	Biological Sciences	1. Biology 2. Life Sciences

		3. Biotechnology 4. Biochemistry 5. Microbiology 6. Forensic Science 7. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Biology or Biotechnology' as the main discipline
4.	Earth-atmospheric Sciences	1. Geology and Geophysics 2. Geology 3. Applied Geology 4. Marine Sciences 5. Atmospheric Science 6. Meteorology 7. Oceanography and Coastal area studies 8. Physical oceanography 9. Geo-informatics 10. Marine Geophysics 11. Geology and Mineralogy 12. Earth Sciences 13. Geophysics 14. Applied Geophysics Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Geology and/or Geophysics' as the main discipline
5.	Environmental Sciences	1. Environment and Ecology 2. Environment 3. Ecology 4. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Environment and/or Ecology' as the main discipline
6.	Mathematical Sciences	1. Mathematics 2. Applied Mathematics 3. Mathematics and Computing 4. Mathematical Sciences 5. Statistics 6. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Mathematics' as the main discipline
7.	Computer and Information Sciences	1. Computational Science 2. Data Science 3. Statistics 4. Computational Statistics 5. Information Science 6. Artificial Intelligence and Machine Learning 7. Cyber Physical System 8. Applied Statistics 9. Cryptography 10. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Computational and/or Information' as the main discipline
8.	Agricultural Sciences	1. Agriculture 2. Agricultural Physics 3. Agricultural Chemistry 4. Agricultural Engineering 5. Agricultural Microbiology 6. Vegetable Science 7. Agronomy 8. Horticulture 9. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Agriculture' as the main discipline

Schedule VI

Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences
(minimum four year degree course)

	Discipline	Equivalent
(1)	(2)	(3)
Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine Veterinary Sciences Pharmaceutical Sciences	1. Electronics and Communication Engineering	1. Electronics and Communication Engineering 2. Electronics Engineering 3. Electronics and Computer Engineering 4. Electronics and Control Engineering 5. Electronics and Communication System Engineering 6. Electronics and Instrumentation Engineering 7. Electronics and Tele- Communication Engineering 8. Electronics and Telematics Engineering 9. Industrial Electronics Engineering 10. Tele Communication Engineering 11. Telecommunication and Information Technology 12. Applied Electronics and Instrumentation Engineering 13. Electronics and Electrical Communication Engineering 14. Electrical with Communication Engineering 15. Radio Physics and Electronics 16. Electrical Engineering 17. Electrical and Electronics Engineering 18. Electronics and Communication Engineering (Avionics) 19. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Electronics' as the main discipline
	2. Electrical Engineering	1. Electrical Engineering 2. Electrical Power System Engineering 3. Electrical and Electronics Engineering 4. Electrical and Renewable Energy Engineering 5. Power Engineering 6. Power Electronics Engineering 7. Electronics and Electrical Communications Engineering 8. Electrical with Communication Engineering 9. Control System 10. Instrumentation and Control Engineering 11. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Electrical' as the main discipline
	3. Mechanical Engineering	1. Mechanical Engineering 2. Mechanical and Automation Engineering 3. Mechanical and Production Engineering 4. Mechatronics Engineering 5. Manufacturing Engineering 6. Designing Engineering 7. Aerospace Engineering 8. Robotics 9. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Mechanical' as the main discipline
	4. Production and Industrial Engineering	1. Production Engineering 2. Industrial Production Engineering

		3. Production and Industrial Engineering Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Production and Industrial' as the main discipline
	5. Computer Science and Engineering	1. Computer Science or Engineering or Technology 2. Computer Science and Engineering or Technology 3. Computer Science or Engineering and Information Technology 4. Computer Science and System Engineering 5. Software Engineering or Technology 6. Computer Science and Automation Engineering or Technology 7. Information Technology 8. Cyber Physical System 9. Computer Science or Technology and Informatics Engineering or Technology 10. Information Science and Engineering or Technology 11. Computer and Communication Engineering 12. Computer Networking Information Technology Mathematical Innovations 13. Artificial Intelligence 14. Artificial Intelligence and Machine Learning 15. Quantum Technology 16. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Computer' as the main discipline
	6. Material Engineering or Material Science and Engineering or Metallurgical Engineering	1. Metallurgy and Material Technology 2. Metallurgy or Metallurgical Engineering 3. Materials Engineering 4. Material Science and Engineering 5. Material Science and Metallurgical Engineering 6. Mining and Mineral Engineering 7. Mining and Mineral Processing Engineering 8. Textiles Engineering 9. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Material Engineering' or 'Material Science' or 'Metallurgy' as the main discipline
	7. Environmental Science and Engineering	1. Environmental Science and Engineering 2. Energy and Environmental Engineering 3. Environmental Engineering 4. Civil and Environmental Engineering 5. Civil Environmental Engineering 6. Energy Environment and Climate 7. Environmental Science and Technology 8. Renewable Energy and Environmental Engineering Environmental and water resources Engineering 9. Any other relevant Engineering or Technology

		discipline with qualifying degree with 'Environmental Science' as the main discipline
	8. Civil Engineering	1. Civil Engineering 2. Civil and Structural Engineering 3. Civil and Environmental Engineering 4. Civil and Rural Engineering 5. Civil and Water Management Engineering 6. Civil and Infrastructure 7. Engineering Construction Engineering Any other relevant 8. Architect Engineering 9. Civil and Transport Engineering 10. Geotech Engineering 11. Water Resource Engineering 12. Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Civil' as the main discipline
	9. Chemical Engineering	1. Chemical Technology 2. Chemical Plant Engineering 3. Applied Chemical and Polymer Technology 4. Polymer Science and Chemical Technology 5. Chemical Science and Technology 6. Food Technology 7. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Chemical' as the main discipline
	10. Biotechnology	1. Biotechnology 2. Biochemical Technology 3. Bioinformatics 4. Food Technology 5. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Biotechnology' as the main discipline
	11. Pharmaceutical Sciences	1. Pharmacology 2. Pharmacy 3. Medicinal Chemistry 4. Pharmaceutical Chemistry 5. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Pharmacy' as the main discipline
	12. Medicine	Any relevant discipline with qualifying degree in 'Medicine'
	13. Veterinary Sciences	Any relevant discipline with qualifying degree in 'Veterinary Sciences' or Fishery Sciences

Schedule VII

Assessment process under the Scheme

1. Level-1 Screening: Composition of Internal Screening Committee shall be as under:-

1.	A Senior Scientist from the Foundation or from any Scientific Department or Scientific organisation under Government of India.	Chairperson
2.	Two Scientists from the Foundation or from any Scientific Department or Scientific organisation under Government of India.	Members

3.	A Scientist from Department of Atomic Energy, Space or Defence Research and Development Organisation.	Member.
----	---	---------

Note 1.- Chairperson and members at serial numbers 1 and 2 above shall be as nominated by the Chief Executive Officer.

Note 2.- Generally, the Chairperson would be at least two levels above the post to which the promotion or upgradation is to be done and members at serial numbers 2 above would be at least one level above the post to which the promotion or upgradation is to be done.

Note 3.- Absence of any member from the proceedings of the Internal Screening Committee shall not invalidate the recommendations of the said Committee.

Note 4.- The quorum for any meeting of the Internal Screening Committee shall be three, including the Chairperson.

Note 5.- The recommendations of Internal Screening Committee shall be subject to acceptance of the Chief Executive Officer (CEO) of Anusandhan National Research Foundation (ANRF).

2. Level-2 Screening:

2.1 Composition of Assessment Board (for consideration of promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'C' up to Scientist 'E' otherwise than under Exceptionally Meritorious Category):

1.	An eminent Scientist of repute from outside the Foundation (whether in service or retired)	Chairperson
2.	Two or three external experts	Members
3.	One or two Scientists of the Foundation	Members

2.2 Composition of Departmental Peer Review Committee (for consideration of promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'F' or 'G'):

1.	Secretary, Department of Science and Technology	Chairperson
2.	Chief Executive Officer of the Foundation	Member
3.	Two Secretaries of other Scientific Ministries/ Departments or their representatives who are at least one level above the post to which promotion is to be made	Members
4.	Two to Three eminent Scientists or Experts in the relevant field, not below the rank of Additional Secretary or equivalent	Members
5.	Representative of Department of Personnel and Training at the rank of Additional Secretary for Scientist 'G' and Joint Secretary for Scientist 'F'	Member

[F. No. RR/ANRF-2025]
SUNIL KUMAR, Addl. Secy.